(नियम 13)

# {General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

## न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

**पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.**

| | | |
|---|---|---|
| घनश्याम पुत्र सांवल जाति माली निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू आदि। | –बनाम– | मक्खनलाल पुत्र कानाराम जाति माली निवासी खमाण सिंह की ढाणी तन झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान आदि। |
| किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जाब्ता दीवानी। | | मु.नं. ...180.../2022<br>RCMS No |

| आदेश | कार्यवाही विवरण | पालना के क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|
| 01.12.22 | प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सीपीसी का आवेदक की ओर से वकील श्री आनन्दीलाल सैनी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावे में प्रतिवादी नम्बर 05 को भी पक्षकार बनाया गया है जो राज्य सरकार का लोक सेवक है। लोक सेवक के विरूद्ध न्यायालय में दावा करेने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस देना कानूनी आवश्यक है। लेकिन मामला अति आवश्यक प्रकृति का है अगर वादी प्रतिवादी नम्बर 005 को दो माह का विधिक नोटिस देकर दावा पेश करता है तो वादी का दावा पेश करने का उदेश्य ही असफल हो जायेगा इसलिए वादीगण को प्रतिवादी नम्बर 05 के विरूद्ध दावा दायरी की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण को प्रतिवादी नम्बर 05 के खिलाफ बिना विधिक नोटिस के दावा पेश किये जाने की अनुमति प्रदान की जावे।<br>प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा वकील वादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वादी अधीवक्ता की कथनो का मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र एवं वाद की प्रवृति एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी नम्बर 05 राजकीय कर्मचारी है। एवं दावा अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है इसलिए उक्त धारा 80(2) सीपीसी का नोटिस प्रतिवदीगण को नही दिया गया है नोटिस बिना दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। फलस्वरूप वादी का प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या 05 करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार कर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ संलग्न हो। निर्णय आज दिनांक 01.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>**सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)**<br>**नवलगढ़ जिला झुन्झुनू** | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 12:59:12 IST
Reason: SelfAttested